संख्याः जी–2–88/दस–2011

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांकः 9 फरवरी, 2011

विषयः **सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल्स प्रेषण में त्रुटियों के निराकरण के संबंध में।**

महोदय,

सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का सही ढंग से रख–रखाव सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा इस संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं। इस संबंध में

1–संख्या–जी–2–1213/दस–2007–314/2007, दि0 16 अगस्त, 2007
2–संख्या–जी–2–971/दस–2008–314/2007, दि0 02 जुलाई, 2008

कार्यालय महालेखाकार द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कोषागारों से प्रतिमाह प्राप्त होने वाले जी0पी0एफ0 शिड्यूल्स में कई कमियॉ विद्यमान रहती है, जबकि इस संबंध में पार्श्वांकित शासनादेशों के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में ही दिए गए हैं। किन्तु उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति उचित नहीं है।

2– इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों में समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या–जी–2–88–(1)/दस–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 157 सा0 वित्त–23–3–2011–(2630)–3,000+2 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।